IV 1/2022

LOCKED

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

Abdesh Kumar
Stamp Vendor Lic. No. 91
e-Stamping ACC ID U. 14199804
Tah. Jaswantnagar (Etawah)

e-Stamp

Certificate No.	:	**IN-UP53526188159679U**
Certificate Issued Date	:	29-Mar-2022 02:42 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14199804/ JASWANTNAGAR/ UP-EWH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1419980497891119941222U
Purchased by	:	SANTOSH YADAV WO BRAJESH CHANDRA YADAV
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SMT SHANTI DEVI MEMORIAL TRUST BY SANTOSH YADAV
Second Party	:	SANTOSH YADAV WO BRAJESH CHANDRA YADAV
Stamp Duty Paid By	:	SANTOSH YADAV WO BRAJESH CHANDRA YADAV
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,100 (One Thousand One Hundred only)

Please write or type below this line

सन्तोष यादव

QT 0006586614

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

रनवीर सिंह यादव

ट्रस्ट डीड

कार्यालय का नाम	उप निबन्धक, जसवन्तनगर, इटावा (उ0प्र0)
प्रस्तुत करने की तिथि	29-3-2022
निष्पादन की तिथि	29-3-2022
न्यास का नाम	श्रीमती शान्तीदेवी मेमोरियल ट्रस्ट
न्यास का पता	रेलमण्डी, जसवन्तनगर (इटावा)
शाखा कार्यालय	न्यास की शाखायें देश के किसी भी स्थान पर स्थापित की जा सकती हैं। आवश्यकतानुसार क्षेत्र बढाया भी जा सकता हैं।
धनराशि जो ट्रस्ट में अभिदान की गयी	11,000/- रू. (ग्याहर हजार रूप्ये मात्र)
संस्थापक का नाम	श्रीमती सन्तोष यादव
देय स्टाम्प शुल्क	1100/-

(श्रीमती शान्ती देवी मेमोरियल ट्रस्ट, रेलमण्डी, जसवन्तनगर, इटावा (उ0प्र0)

का

न्यास विलेख

यह न्यास विलेख आज दिनांक 28.03.2022 को श्रीमती सन्तोष यादव पत्नी श्री बृजेश चन्द्र यादव निवासी जुगौरा, कोकावली जनपद इटावा, हाल निवास रेलमण्डी जसवन्तनगर इटावा (उ0प्र0) जिन्हें न्यास संस्थापक /प्रबन्धक/चेयरमेन (अन्यथा सन्दर्भित न होने की दशा में उत्तराधिकारी हितबद्ध उत्तराधिकारी प्रतिनिधि, प्रशासक न्यासी सदस्य तथा समुनिदेशती आदि को सम्मिलित करते हुए समझ जायेगा) सन्दर्भित किया गया है द्वारा निष्पादित की जा रही है।

अतः न्यास संस्थापक/प्रबन्धक/चेयरमेन द्वारा रू0 11000/– (ग्यारह हजार रू0) एकमुश्त धनरशि अभिदान कर शिक्षा प्रसार एवं अन्य सामाजिक विकास सम्बन्धी क्रिया कलापों जो आगे विवरणित हैं, के सम्बर्द्धन हेतु एक न्यास की स्थापना की जा रही है और निम्न विवरणित निबन्धन इन सम्बन्धों के अनुसार न्यास संचालन हेतु स्स्थापक /प्रबन्धक/चेयरमेन व नीचे नामित अन्य न्यासीगण द्वारा न्यास स्थापना एवं संचालन हेतु अपनी सहमति दी गयी है ।

अतः यह न्यास विल्लेख निम्नलिखित हैं।

1– न्यास का नाम 'श्रीमती शान्तीदेवी मेमोरियल ट्रस्ट' होगा ।

2– न्यास संस्थापक/प्रबन्धक/चेयरमेन द्वारा प्रदत्त उपर विवरणित प्रारंभिक अभिदान धनराशि व न्यासीगण से प्राप्त धनराशि एतदद्वारा निम्नवत गठित न्यास की प्रबन्धशासन समिति को न्यासतः धानित करने हेतु हस्तान्तरित की जा रही है ।

सन्तोष यादव

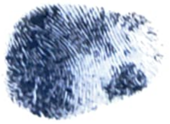

नवगठित प्रबन्धन्यासी समिति के पदाधिकारी

(i). श्रीमती सन्तोष यादव मुख्य प्रबन्ध न्यासी संस्थापक / प्रबन्धक / चेयरमेन

(ii). श्री बृजेश चन्द्र यादव पुत्र श्री रामपाल सिंह निवासी जुगौरा, कोकावली जनपद इटावा, हाल निवास रेलमण्डी जसवन्तनगर इटावा। उपप्रबन्ध न्यासी / उप चेयरमेन

(iii). डॉ भुवनेश चन्द्र यादव पुत्र श्री बृजेश चन्द्र यादव रेलमण्डी, जसवन्तनगर, इटावा। कोषाध्यक्ष

(iv). अनुज कुमार पुत्र श्री बृजेश चन्द्र यादव ग्राम जुगौरा पो0 कोकावली इटावा हाल निवास रेलमण्डी, जसवन्तनगर, इटावा (उ0प्र0) सचिव

(v). श्रीमती आरती यादव पत्नी डॉ भुवनेश चन्द्र यादव ग्राम जुगौरा पो0 कोकावली इटावा हाल निवास रेलमण्डी, जसवन्तनगर, इटावा (उ0प्र0) / सदस्य

(vi). डॉ0 अन्जली यादव पत्नी श्री अनुज कुमार ग्राम जुगौरा पो0 कोकावली इटावा हाल निवास रेलमण्डी, जसवन्तनगर, इटावा (उ0प्र0) / सदस्य

3– न्यास निष्पादन के उपरान्त यह न्यास एक अलाभकारी,गैरसरकारी, गैर राजनैतिक स्वैच्छिक संगठन हैं जो धर्म, जाति, वर्ग, राजनीति से ऊपर उठकर जनहित मे कार्य करेंगा।

4– न्यास का पंजीकृत कार्यालय श्रीमती सन्तोष यादव के मकान में रेलमण्डी, जसवन्तनगर, इटावा में स्थापित होगा जिसे न्यास बोर्ड सर्वसम्मति से निर्णय लेकर सभी सम्बद्ध को सूचित कर किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कर सकेंगे।

5– <u>न्यास संस्थापना के लक्ष्य एवं उद्देश्य</u>

(i) शिक्षा सम्बर्द्धन प्रसार व प्रोन्नति हेतु विद्यालय, शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, महाविद्यालय, तकनीकी शिक्षा केन्द्र, स्वास्थ्य शिक्षा केन्द्र, विद्यापीठ, बाल मन्दिर, अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय, स्वायत्त कॉलेज, पॉलिटेक्निक, पेशेवर संस्थानों, औद्योगिक स्कूलों, चिकित्सा और चिकित्सा अनुसंधान आदि संस्थाओं की स्थापना, संचालन, अधिग्रहण एवं सहयोग कर विद्यार्थियों को शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करना ।

सन्तोष यादव

(ii) अन्य विद्यालयों व संस्थाओं को शिक्षा सम्बर्द्धन मे आर्थिक सहयोग, सहभागिता करना ।

(iii) विद्यार्थियों को शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति एवं ऋणसुविधायें व अन्य सभी प्रकार की सहायता प्रदान करना।

(iv) शिक्षा सम्बर्द्धन एवं विद्यार्थियों के चारित्रिक, शारीरिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक विचार हेतु पुस्ताकलय, वाचनालय, म्यूजियम, क्रीड़ाकेन्द्र आदि स्थापना करना।

(v) समाज में स्वास्थ्य सम्बर्द्धन हेतु चिकित्सालय व डिस्पेन्सरी स्थापित करना व आर्युविज्ञान संस्थान नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान आदि स्थापित करना व प्रबन्धन करना।

(vi) अन्य चिकित्सालयों एवं स्वास्थय सेवा सम्बन्धी संस्थानों को दवाइयां एम्बुलेंस सुविधा व अन्य प्रकार से सहायता व सहयोग करना।

(vii) समाज के विभिन्न गरीब व्यक्तियों को शिक्षा इलाज उनके सामाजिक उत्थान व बच्चों तथा महिलाओं के विकास व कल्याण हेतु सहयोग व आर्थिक समर्थन प्रदान करना।

(viii) गौशाला वृद्धावस्था आश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन आदि की व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा स्थापित की जायेगी। उपरोक्त सभी लक्ष्यों एवं उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यास बोर्ड द्वारा सर्व सम्पत्ति से स्वीकृति एवं अनुमोदित योजना अन्तर्गत कार्यक्रम व प्रोजेक्ट के अनुरूप ही न्यास द्वारा कार्यक्रम संचालित होंगे।

(ix) नेत्र अनुसंधान संस्थानों, फाउंडेशनों, नेत्र अस्पतालों, दंत चिकित्सा अस्पतालों, पैथोलॉजी और प्रयोगशाला चिकित्सा सेवाओं, डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी सेवाओं और ऐसे अन्य चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, और प्रबंधन करना।

(x) छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रो और पेशेवर कोचिंग संस्थानों की स्थापना करना और उन्हें संगठित–असंगठित क्षेत्रों और सरकार में स्वरोजगार योजनाओं और ऐसी अन्य योजनाओं का लाभ उठाने में सहायता करना।

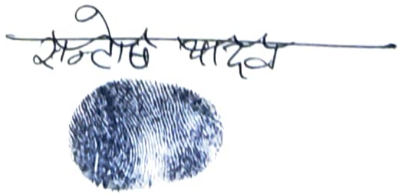

(xi) स्कूल, कॉलेज और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना, संचालन, अधिग्रहण और प्रबंधन और शैक्षिक विकास को प्रोत्साहित करना।

(xii) बाल गृह, अनाथालय, दया गृह, वृद्धाश्रम और इसी तरह के संस्थानों को स्वयं या समान विचारधारा वाले संगठनों या सरकारों और गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में स्थापित करना, चलाना व प्रबंधित करना।

(xiii) ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुरूप सभी प्रयासों, परियोजनाओं और योजनाओं में सरकार के साथ गठबंधन और सहयोग करने के लिए और अनुदान, धन और सहायता प्राप्त करने और आवश्यकतानुसार उन्हें लागू करने और उपयोग करने के लिए।

(xiv) समान विचारधारा वाले अन्य प्रतिष्ठानों और सरकार के सहयोग से स्कूलों, कॉलेजों और ऐसे संस्थानों के माध्यम से बच्चों और वयस्कों के बीच सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल सेवाओं और स्वचालित सेवाओं के उपयोग को फैलाना, लोकप्रिय बनाना और बढ़ावा देना।

(xv) रोगों के प्रसार को प्रभावी ढंग से रोकने और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक बनाने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता, वायरल संक्रमण, संचरित रोगों, एचआईवी–एड्स पर जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित करना।

(xvi) प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, चक्रवात, भूकंप आदि की स्थिति में चिकित्सा और अन्य राहत प्रदान करने के लिए, एनडीआरएफ, अर्धसैनिक और पुलिस बलों के सहयोग से सहायता प्रदान करना।

(xvii) कार्यरत, शल्य चिकित्सा, और दवा अधिकारियों, नर्सों, डॉक्टरों और परिचारकों और अन्य धर्मार्थ चिकित्सा संस्थानों को सभी चिकित्सा, शल्य चिकित्सा और फार्मास्युटिकल उपकरणों और परिवहन रोगियों के लिए घर से अस्पतालों और वापस तक आपूर्ति में सहायता प्रदान करना।

(xviii) व्यापक रूप से जनता के सामान्य लाभ के लिए चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग और ऐसे अन्य विषयों में अनुसंधान की उन्नति के लिए अनुदान, छात्रवृत्ति, फैलोशिप और इसी तरह की वित्तीय सहायता या प्रोत्साहन प्रदान करना।

(xix) एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, अन्य किसी भी सिस्टम या मेडिकल और इंजीनियरिंग स्कूलों, कॉलेजों और इसी तरह के संस्थानों की सभी शाखाओं की स्थापना, रखरखाव और समर्थन करने के लिए विशेष रूप से नई दवाओं, के विकास के सदर्भ में और उनके दान को प्राप्त करने और विदेशी अनुसंधान संस्थानों के साथ जुडने के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य और विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए।

(xx) ब्लड बैंक, आई बैंक की स्थापना करना और अस्पतालों, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा अनुसंधान फाउंडेशन या स्कूलों को बनाए रखना और आंख, रक्त और अंग दाताओं का डेटा बेस बनाना ताकि बड़े पैमाने पर जनता इससे लाभान्वित हो सके और प्रत्यारोपण कार्यों में सहायता कर सके।

(xxi) बच्चों को किंडरगार्टन शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा प्रदान करना, कक्षाएं संचालित करना, विशेष कक्षाएं और ट्यूशन कक्षाएं आयोजित करना।

(xxii) मशीनरी का आयात करना अनुसंधान के उद्देश्य के लिए उपकरण प्राप्त करना, विशेष रूप से चिकित्सा, वैज्ञानिक और अनुसंधान के क्षेत्र में विदेशों सहायता के रूप में दान प्राप्त करना और ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनका उपयोग करना।

(xxiii) नेत्रहीन, बहरे और गूंगे बच्चों और लड़कियों के लिए टॉरेंडर हर संभव मदद, और उन्हें उनके संवैधानिक अधिकारों और सीखने की क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान कराना।

(xxiv) गरीब परिवारों के बच्चों को भोजन, कपड़े, चिकित्सा देखभाल और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रायोजक परिवारों/व्यक्तियों/कॉर्पोरेट के साथ जोड़ने का कार्यक्रम बनाना।

(xxv) ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों, क्लीनिकों, चिकित्सा जांच और अनुसंधान संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करना, गरीबों को चिकित्सा राहत की सुविधा प्रदान करना।

(xxvi) न्यास के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए पुस्तकें, पत्रिकाएं, पत्रक, ब्रोशर और पेपर लाना, प्रकाशित करना और बेचना और पुस्तकालयों, वाचनालय को खोलना और बनाए रखना।

सन्तोष यादव

(xxvii) अक्षम या विकलांग या मानसिक/शारीरिक रूप से विकलांग और आर्थिक रूप से अयोग्य जरूरतमंद लोगों को रहने के लिए आवश्यक चिकित्सा सहायता और अन्य सहायता की व्यवस्था करना और प्रदान करना।

(xxviii) छात्रावासों, अल्प प्रवास गृहों, पुनर्वास केन्द्रों, आश्रयों, शिशु गृहों, बाल देखभाल केन्द्रों की स्थापना, निर्माण, अधिग्रहण या प्रबंधन के लिए या महिलाओं, बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों, नशा करने वालों और जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए बाल गृह, परामर्श केंद्र और हेल्प लाइन केंद्रों की स्थापना।

(xxix) जागरुकता शिविर, स्वास्थ्य शिविर, मार्च, कार्यशालाएं, अभियान और प्रदर्शनी, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर आयोजित करना और उनके उपयोग और उपभोग के लिए सहायक उपकरण, और सहायता प्रदान करना।

(xxx) योग, प्राकृतिक चिकित्सा, ध्यान, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मालिश चिकित्सा, आयुर्वेद, होम्योपैथी, रेकी आदि जैसे पारंपरिक उपचारों को बढ़ावा देना।

(xxxi) पर्यावरण संरक्षण को बढावा देना तथा इस उद्देश्य हेतु संस्थाओं को स्थापित करना तथा अभिविद्धत करना।

(xxxii) उद्यान (पार्क), व्यायामशाला, क्रीडा क्लब विश्राम गृह, मनोरंजन क्लब, धर्मशाला आदि की जनसामान्य के उपयोग के लिए स्थापना करना, उन्हें चलाना तथा उनकी सहायता करना।

(xxxiii) अनुदान/दान आदि से आय प्राप्त करने के लिए न्यास परिषद के मुख्य प्रबन्धन्यासी ही अधिकृत होंगे।

(xxxiv) प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में सरकार की विभिन्न योजनाओं को संचालित करने हेतु गैर सरकारी संस्था (एन0जी0ओ0) के रूप में सहभागिता करना।

उपरोक्त सभी किया– कलापों हेतु राज्य/ केन्द्र सरकार/ अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें / अन्य राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय ट्रस्टों तथा जागरूक व्यक्ति से अनुदान/मदद प्राप्त करना।

प्रोजेक्ट के अनुरूप ही न्यास द्वारा कार्यक्रम प्रबन्धन संचालित होंगे।

सन्तोष यादव

6– ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत

7– **प्रबन्ध शासी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य**

अ– **मुख्य प्रबन्ध न्यासी / संस्थापक / प्रबन्धक / चेयरमेन**

(i) न्यास / संस्था का प्रशासनिक पदाधिकारी होगा।

(ii) न्यासीगण व अन्य समितियों जिनके वह सदस्य होंगे की बैठकों की अध्यक्षता करना

(iii) न्यास / संस्था की अदालती कार्यवाही करना।

(iv) न्यास / संस्था के अंतर्गत संचालित विद्यालयों इकाइयों केन्द्रों के अध्यक्ष के साथ सलाह कर प्रधानाचार्य, कर्मचारियों कार्यकर्ताओं कारीगरों, लिपिक, चपरासी, स्वीपर, सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति निष्कासन पदोन्निति, पदोच्युत करना, वेतन तय करना व भुगतान करना व संस्था के समस्त स्टाफ की चरित्र पंजिकाओं को रखना उनके कार्य के आधार पर अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रविष्टी करना, कारण बताओ नोटिस जारी करना तथा प्रथक या निलम्बित करना।

(v) न्यास / संस्था के चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना हस्तान्तरण, किराये, बिक्री, पट्टे पर लेन–देन सम्बन्धित प्रपत्रों दस्तावेजों, शर्तनामों आदि पर हस्ताक्षर करना।

(vi) सदस्यों की सदस्यता शुल्क दान, चन्दा आदि के लिए प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष में से एक के हस्ताक्षर रसीदों पर आवश्यक होंगे।

(vii) न्यास / संस्था के सभी प्रकार के खातों का संचालन करना।

(vii) न्यास की ओर से प्रयुक्त किये जाने वाले सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों व बैठक को कार्यवाही पर हस्ताक्षर करना।

(ix) अपने सामान्य मत के अतिरिक्त विचारणीय विषय पर सदस्यों के पक्ष / विपक्ष में बराबर मत होने पर निर्णायक मत देना।

ब– **उप प्रबन्ध न्यासी / बाइस चेयरमेन–**

(i) चेयरमैन की अनुपस्थिति में चेयरमैन के स्थान पर अध्यक्षता करना।

(ii) न्यास / संस्था के प्रत्येक कार्य की जांच करना एवं सुझाव देना।

(ii) न्यास के समस्त क्रियाकलाप व गतिविधियों का संरक्षक मुख्य प्रबन्ध न्यासी की सहमति से नियन्त्रण व मार्ग दर्शन करना।

स– सचिव

(i) न्यास के कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यालय प्रमुख के रूप में नियंत्रण व संचालन करना।

(ii) सभी प्रकार के पत्राचार करना।

(iii) आय व्यय का सामान्य निरीक्षण व व्यय लेख पर नियंत्रण।

(iv) न्यास के सभी रजिस्ट्रर व अभिलेखों को अद्यनत रखना।

(iv) संरक्षक/मुख्य प्रबन्ध न्यासी एवं चेयरमैन/सह प्रबन्ध न्यासी प्रत्यायोजित द्वारा सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करना।

(vi) बैठकों की कार्यवाही अंकित करना व न्यास की ओर से महत्वपूर्ण सूचना एवं अभिलेखों को प्रस्तुत करना।

(vii) कोषाध्यक्ष के साथ सभी आय व्यय सम्बन्धी विवरण बाउंचर के समयक रख रखाव के लिये उत्तरदायी होना।

(viii) बैठकों की कार्यवाहियों का संचालन करना।

द– कोषाध्यक्ष

(i) न्यास के आय व्यय सम्बन्धी सभी लेखों एवं रिकार्डस के उचित रख रखाव के लिये उत्तरदायी होना।

(ii) न्यासीगण द्वारा अनुमोदित बैंक खातों में न्यास द्वारा प्राप्त सभी जमा, संग्रहीत अभिदान राशि को जमा करना।

(iii) न्यास की वार्षिक आय विवरणी व तुलन पत्र तैयार करना उनका अंकेक्षण करवाना एवं न्यास बोर्ड की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना।

(iv) बैंक द्वारा चैक बुक प्राप्त करना, मुख्य प्रबंध न्यासी/संस्थापक/प्रबंधक/चेयरमेन के साथ संयुक्त रूप से देयताओं की चैक जारी करना चैकों का विवरण रखना व जमा रसीदों, ड्राफ्ट, शेयर, डिपेंचर, एनएससी आदि सिक्योरिटीज मूल रूप से सुरक्षित रखना

8— न्यास गठन व प्रशासन

(i)— गठन के प्रारम्भ में न्यास बोर्ड के निम्न न्यासी होंगे।

1— श्रीमती संतोष यादव	मुख्य प्रबन्ध न्यासी संस्थापक / प्रबन्धक / चेयरमेन
2— श्री बृजेश चन्द्र यादव	उप प्रबन्ध न्यासी / वाइस चेयरमेन
3— डा. भुवनेश चन्द्र यादव	कोषाध्यक्ष
4— अनुज कुमार	सचिव
5— आरती यादव	सदस्य
6— डॉ0 अन्जली यादव	सदस्य

उक्त सभी न्यासी न्यास के आजीवन न्यासी / पदाधिकारी होंगे ।

(ii)— श्रीमती संतोष यादव मुख्य प्रबन्ध न्यासी संस्थापक / प्रबन्धक चेयरमेन न्यास के आजीवन मुख्य प्रबन्ध न्यासी होंगे तथा डॉ. बृजेश चन्द्र यादव आजीवन उप प्रबन्ध न्यासी / बाइस चेयरमेन होंगे। मुख्य प्रबन्ध न्यासी / संस्थापक / चेयरमेन को पद रिक्त होने पर उनका वारिस ही न्यास के समस्त पदाधिकारियों की आपसी सहमति से ही मुख्य प्रबन्ध न्यासी का पद ग्रहण करेगा। जब तक वारिस मुख्य प्रबन्ध न्यास के पद पर नियुक्त न हो तब तक उप प्रबन्ध न्यासी मुख्य प्रबन्ध न्यासी का पद कार्यवाहक के रूप में ग्रहण करेगा) उप प्रबन्ध न्यासी का पद रिक्त होने पर उनका वारिस न्यास के समस्त पदाधिकारियों की आपसी सहमति से ही उप प्रबन्ध न्यासी होगा।

(iii)— न्यासी बोर्ड में उपरोक्त न्यास सदस्यों के परिवार के सदस्य ही न्यास सदस्य के रूप में सम्मिलित / नियुक्त किये जायेंगे। न्यास बोर्ड में न्यूनतम 2 व अधिकतम 7सदस्य / पदाधिकारी होंगे। न्यास विलेख के पैरा 8(I) के नामित न्यास बोर्ड के 4 पदाधिकारियों के अतिरिक्त 3 सदस्यों की रिक्तपूर्ति आजीवन मुख्य प्रबन्ध न्यासी द्वारा अपने परिवार के वयस्क सुपात्र व्यक्ति से न्यास बोर्ड के सदस्यों के शेष सदस्यों के बहुमत की सहमति से की जा सकती है । न्यास बोर्ड का सदस्य अपने जीवन काल में अपने स्थान पर अपने वारिस को समनुदेशित / नियत (Assign) कर सकता है। न्यास बोर्ड के किसी सदस्य के मृत्यु की दशा में प्रथमतः उसकी पत्नी, पत्नी की अनुपलब्धता या सहमति की दशा में कथानुगत उसकी संतानों में पुत्रगण और पुत्र न होने की दशा पुत्री न्यास बोर्ड की सदस्य होगी। विशेष परिस्थिति में ही न्यास बोर्ड की सर्वानुमति से ही उपरोक्त प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों की अनुपलब्धता में ही अन्य विधिक उत्तराधिकारियों में सुपात्र प्रतिनिधि न्यास बोर्ड में नियुक्ति का अधिकारी होगा।

(iv)– न्यास के उद्देश्यों एवं वृहत्तर हितों के विपरीत यदि न्यास बोर्ड के किसी सदस्य को असामाजिक गतिविधियों, न्यास की साख धूमिल किये जाने न्यास की परिसम्पत्तियों को दुर्विनियोग या गबन या अन्य अवांक्षनीय गतिविधियों में संलिप्तपाया जाता है तो न्यास बोर्ड सदभावना पूर्ण विचार कर 2/3 बहुमत से ऐसे दोषी सदस्य की न्यास बोर्ड की सदस्यता समाप्त कर सकता है और न्यास सम्पत्ति की वसूली व अन्य विधिक कार्यवाही भी कर सकता है।

(v)– उत न्यास के प्रथम चारों न्यासी/पदाधिकारियों के अतिरिक्त पदाधिकारियों/सदस्य का कार्यकाल नियुक्ति व प्रभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष का होगा और कार्यविधि के समाप्ति के पूर्व ही नये पदाधिकारियों/सदस्यों का चयन/नियुक्ति न्यास बोर्ड द्वारा बहुमत से की जायेगी। न्यास के चारों पदाधिकारियों का कार्यकाल आजीवन होगा।

(vi)– न्यास बोर्ड की बैठक का कोरम कुल सदस्यों की 1/3 होगा और विचारण हेतु प्रस्तुत विषय पर बहुमत से निर्णय लिया जायेगा।

(vii)– न्यास बोर्ड की बैठक सचिव द्वारा विचारण हेतु प्रस्तुत विषय सूची के साथ न्यास बोर्ड के मुख्य प्रबन्ध न्यासी की पूर्वानुमतिध्अनुमोदन के सामान्यतः तीन दिन के नोटिस के साथ बुला सकेगा। विशेष परिस्थिति में आकस्मिक बैठक भी सभी न्यास बोर्ड के सदस्यों को पूर्व सूचना देकर कभी भी बुलायी जा सकती है।

(vii)– न्यास बोर्ड की बैठक कार्यवाही व निर्णय कार्यवाही को पुस्तिका में सचिव द्वारा अंकित किया जायेगा और बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होंगे जिनकी पुष्टि अगली बैठक में की जायेगी और ऐसी कार्यवाही निश्चयात्मक साक्ष्य के रूप में स्वीकार होंगे।

(ix)– न्यास बोर्ड ऐसे सदस्य जो बैठक में उपस्थित नहीं हो पा रहे है विचारणीय विषय पर अपना अभिमत लिखित भेज सकते है और उनका सम्बन्धित विषय पर उनके मत के रूप में स्वीकार किये जायेंगे। इसी प्रकार ऐसा कोई प्रस्ताव जो प्रसारण द्वारा बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित कर स्वीकार किया जायेगा, भी मीटिंग में पारित प्रस्ताव के समुतल्य प्रभावी व पारित माना जायेगा और आगामी बैठक की कार्यवाही में अंकित किया जायेगा। बैठक की सूचना न्यास बोर्ड के सदस्यों को उनके पते पर निर्गत की जावे, कार्यवाही पुस्तिका न्यास बोर्ड के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी।

सन्तोष यादव

(x)– न्यास बोर्ड आवश्यकतानुसार न्यास के लक्ष्य एवं उद्देश्य की पूर्ति हेतु समय समय पर योजनायें, नियम, उपनियम, सृजित कर सकेंगे और तदानुसार न्यास का प्रबन्धन संचालित किया जायेगा।

(x)– निम्न दशाओं में न्यास बोर्ड के पदाधिकारियें व सदस्य की सदस्यता स्वयमेव समाप्त मानी जायेगी।

अ– मृत्यु होने पर
ब–न्यास बोर्ड की सदस्यता से त्याग पत्र देने पर
स– दिवालियां घोषित होने पर
द– मानसिक विक्षिप्तता या पागल होने पर

9– न्यास बोर्ड के अधिकार एवं कर्तव्य

न्यास के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यास बोर्ड के निम्नवत अधिकार व कर्तव्य होंगे।

(i)– किसी व्यक्ति व्यक्ति समूह, संस्था, फर्म,एसोशिएशन, किसी अन्य न्यास या कारपोरेटबाडी इत्यादि से नकद या वस्तु के रूप में दान, सहायता, अधिदान प्राप्त करना।

(ii)– न्यास की अचल सम्पत्ति भवन व भूमि को निश्चित समयाविधि के लिये किराये आदि पर उन शर्तों व सीमाओं तक देना जिन्हें न्यास बोर्ड हितों में मानती हो।

(iii)– न्यास की आय को न्यास के लक्ष्य एवं उद्देश्यों हेतु न्यास. बोर्ड के निर्णयानुसार विभिन्न योजनाओं व मदों में व्यय करना।

(iv)– न्यास के नियम, उपनियम, विनिमय व योजनाओं में न्यास प्रबंधन की बेहतरी के लिए न्यास बोर्ड की सर्वसम्मति से संशोधन करना व सृजित करना।

(v)– शासन, प्रशासन, सार्वजनिक, निकाय, निगम, कम्पनी तथा संस्थाओं से न्यास हितों एवं न्यास के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान/ऋण आदि प्राप्त करने के लिए प्रयास व वांछित कार्यवाहियां व औपचारिकतायें पूरी करना।

(vi)a –न्यास के उद्‌देश्यों के प्राप्ति हेतु समय–समय पर न्यास की सम्पतियों का विकय करना, बन्धक रखना, पट्‌टे पर देना, लाइसेन्स पर देना व किसी अन्य प्रकार अन्तरित करना।

(vi)b – आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13(1) तथा धारा 11(5) एवं सम्बन्धित नियमों के अनुरूप न्यास का धन योजनाओं में लगाना।

(vi)c –विभिन्न योजनाओं में लगाये गये न्यास के धन को वापस लेना उसमे परिवर्तन करना या निरस्त करना।

(vii) –न्यास बोर्ड अपने द्वारा स्वीकृत विशिष्ट परियोजना या कार्यक्रम संचालन एवं व्यवस्था हेतु उपसमितियों गठित कर सकेगा जो अन्ततः न्यास बोर्ड के अधीन व मार्ग दर्शन में सौंपे गये कार्य का प्रबंधन करेगी।

(viii)– न्यास बोर्ड आवश्यकता पड़ने पर न्यास की चल अचल सम्पत्ति, बाण्ड शेयर आदि अस्तियां को बन्धक रखकर बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण व अन्य सुविधायें प्राप्त कर सकता है।

(viii)a–न्यासियों द्वारा निर्धारित शर्तों व वेतन पर किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों को न्यास के कार्यो हेतु नियुक्ति करना एवं ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना और उनकी सेवायें समाप्त करना न्यास परिषद के ऐसे कार्यो को किसी भी न्यायलाय या ट्रिब्यूनल आदि में विवादित नहीं किया जा सकेगा या चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

(ix)– न्यास बोर्ड के पदाधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वाहन करने हेतु उचित पारिश्रमिक पाने के हकदार होंगे।

(x)– न्यास के खाते किसी राष्ट्रीय कृत बैंक या पोस्ट आफिस में न्यास के नाम से न्यास बोर्ड के प्रस्ताव के अनुरूप खोले जायेंगे । ऐसे खातों का संचालन मुख्य प्रबन्ध न्यासी के हस्ताक्षर से किया जायेगा । रू. में पचास हजार से कम का आहरण मुख्य प्रबन्ध न्यासी या कोषाध्यक्ष में से किसी एक के हस्ताक्षर से भी किया जा सकेगा।

(xi)– न्यास की ओर से न्यास हितों की संरक्षण एवं अनुरक्षण हेतु सभी प्रकार के वाद संस्थित करने एवं न्यास के विरूद्ध लगाये गये वादों में न्यास का पक्ष प्रस्तुत करने के लिये मुख्य प्रबन्ध न्यासी या उप प्रबन्ध न्यासी ही अधिकृत होंगे।

(xii)– न्यास द्वारा जो संस्थाएं संचालित होगी उनकी प्रबन्ध समिति मुख्य प्रबन्धन्यासी द्वारा न्यास के समस्त सदस्यों तथा जो व्यक्ति दस हजार रूपया एक मुश्त दान देगा वो व्यक्ति पॉच वर्ष की अवधि के लिये ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं की प्रबन्ध समिति के गठन हेतु ट्रस्ट द्वारा मनोनीत साधारण सभा का सदस्य होगा। इसी गठित साधारण सभा से प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों का बहुमत से चुनाव होगा परन्तु प्रबन्ध समिति का प्रबन्धक/मंत्री/सदैव ट्रस्ट का मुख्य प्रबन्ध न्यासी ही होगा जिसका चुनाव नहीं होगा। उक्त प्रबन्ध समिति को बिना कारण बताए मुख्य प्रबन्धन्यासी ट्रस्ट बोर्ड की सहमति से न्यास के हित में भंग कर नयी प्रबन्ध समिति का सृजन कर सकता हैं। प्रबन्ध समितियों के संचालन हेतु जहॉं भी पृथक नियमावली अथवा बाइलॉज की आवश्यकता होगी वहॉं मुख्य प्रबन्धन्यासी द्वारा नियमावली /बाइलॉज बनाया जाऐगा यदि किसी प्रबन्ध समिति की नियमावली/बाइलॉज ट्रस्ट के प्राविधान के विरूद्ध कुछ होगा तो न्यास के प्राविधान ही मान्य होगे। ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों के गठन एवं चयन की नियमावली निम्न प्रकार होगी।

सन्तोष यादव

1. **गठन** – ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों का गठन मुख्य प्रबन्धन्यासी द्वारा ट्रस्ट बोर्ड की सहमति से गठित साधारण सभा के सदस्यों के बहुमत से होगा। प्रबन्ध समिति का संगठन निम्नवत रहेगाः–

   जिसमें

   1. अध्यक्ष – एक
   2. उपाध्यक्ष – एक
   3. प्रबन्धक / मंत्री – एक
   4. कोषाध्यक्ष – एक
   5. सदस्य – दो

   प्रबन्ध समिति के 04 पदाधिकारी एवं 02 सदस्य होंगे

2. **कार्यकाल** –

   प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों का कार्यकाल 05 वर्ष का होगा।

3. **बैठकें सामान्य व विशेष** –

   प्रबन्ध समिति की सामान्य बैठकें तिमाही और आवश्यकता पड़ने पर बैठकें कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है। प्रत्येक प्रकार की बैठक चाहे वह सामान्य हो या विशेष हो अध्यक्ष से विचार विमर्श कर प्रबन्धक / मंत्री द्वारा बुलायी जा सकेगी।

4. **सूचना अवधि**–

   प्रबन्ध समिति की सामान्य बैठके 7 दिन पूर्व और विशेष बैठके 24 घंटा पूर्व सदस्यों को दस्ती, डाक अण्डरपोस्टिंग, अथवा समाचार पत्र द्वारा दी जा सकती हैं।

5. **प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का अधिकार एवं कर्तव्य**–

   अध्यक्ष–

   1. सभी प्रकार के बैठको की आयोजनों की तिथिया निश्चित करना एव एजेंडा की संस्तुति करना।
   2. आयोजित बैठको की अध्यक्षता करना तथा बराबर मत आने पर अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।
   3. अध्यक्ष इस प्रबन्ध समिति का प्रमुख होगा।

   उपाध्यक्ष –

   अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके द्वारा सौपे गये समस्त अधिकारो व कर्तव्यों का पालन और प्रयोग करना। संस्था के उन्नति व विकास में सहयोग करना।

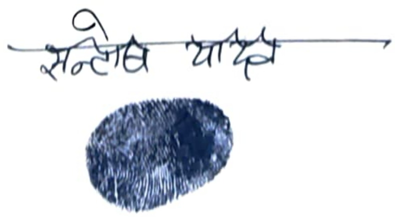

प्रबन्धक / मंत्री –

1. इस समिति व इसके द्वारा संचालित संस्थाओं आयोजित कार्यक्रमो का मुख्य संचालन प्रशासनिक पदाधिकारी होगा।
2. समस्त पारित प्रस्ताओं को क्रियान्वित करने कराने के लिये उत्तरदायी होगा। समितिव संचालित सस्थाओं कें मत से प्राप्त होने वाले दान अनुदान चन्दा व अन्य प्रकार के सहयोग व सहायताये प्राप्त करना तथा उनकी प्राप्तियों पर हस्ताक्षर करना।
3. संस्था के समस्त पत्रों – प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना।
4. संस्थाओं के प्राचार्य / प्रधानाचार्य, शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्ति करनाव उनके दोंषो के लिए वेतन रोकना, निलम्बित करना तथा सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा।
5. संस्था की समस्त प्रकार की बैठको को बुलाना उनके एजेण्डा सूचनाओ को प्रसारित करना ।
6. वैतनिक कर्मचारियो का वेतन निर्धारण वेतन वितरण का दायित्व निर्वाह करना ।
7. संस्था की सम्पत्तियों, निधियो , धनराशियो को सुरक्ष व संरक्षण करना।
8. संस्था के विल बाउचरो पर हस्ताक्षर करना व उनका भुगतान करना ।
9. उपसमितियो व संस्थाओ के कार्यो की समीक्षा करना।
10. संस्था की चल अचल सम्पत्ति विषयक अनुबंधो दस्तावेजो व शर्तनामी, बैनामा आदि पर संस्था प्रधान की हैसियत से हस्ताक्षर करना।
11. संस्था द्वारा अथवा उसके समस्त अदालती कार्यवाही में संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
12. शिक्षा संहिता व प्रशासन योजना के अर्न्तगत प्रबन्धक को प्राप्त होने वाले समस्त अधिकारों, कर्तव्यो का पालन व प्रयोग करना।
13. ऐसी स्थिति में जब प्रवन्ध समिति व साधारण सभा की बैठके बुलायी जाना सम्भव न हो तो प्रबन्ध समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में समस्त निर्णय प्रबन्धक / मंत्री द्वारा लिए जा सकेगे।

कोषाध्यक्ष –

1. सभी प्रकार के आय व्यय का मद व तिथि बार अंकन करना। संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक रिर्पोट तैयार करना तथा संस्था की आर्थिक स्थिति को मजूबत करने के लिए नये को करना।
2. संस्था के मासिक आय व्यय को कमेटी द्वारा आयेजित बैठको में प्रस्तुत करना तथा आय व्यय सम्बन्धी समस्त भ्रान्तियों को सदस्यो के मध्य दूर करना।

6. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया –

साधारण सभा के 2/3 सदस्यो के बहुमत द्वारा संस्था के नियमों मे संशोधन , परिर्वतन किया जायेगा। प्रत्येक संशोधन के लिए ट्रस्ट के संस्थापक सदस्यो की सहमति अनिवार्य होगी बिना उनकी सहमति के कोई भी प्रस्ताव बैठक में नहीं रखा जा सकेगा।

7. कोष संचालन–

संस्था का समस्त धन किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पो0 आ0 या प्राइवेट बैंक में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा होगा तथा जिसके संचालन हेतु बैंक में प्रबन्धक/मन्त्री के हस्ताक्षर द्वारा धनाहरण हो सकेगा।

8. संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट)–

संस्था के आय व्यय के लेखा परीक्षण हर वर्ष किसी योग्य अधिवक्ता, आडिटर अथवा चार्टिड एकाउण्टेण्ट द्वारा कराया जायेगा।

9. संस्था द्वारा तथा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही का संचालन का उत्तरादायित्व–

संस्था द्वारा होने वाली समस्त अदालती कार्यवाही की पैरवी प्रबन्धक/मंत्री या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जायेगी। नियुक्त पदाधिकारी अपने दात्यिय निर्वाहन में प्रबन्णक/मंत्री की सहमति व सलाह अनिवार्य रूप से लेगा।

(xiii)– इस न्यास के अन्तर्गत चलने वाली संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों को किसी भी समय बिना कारण बताए विघटित कर देना और उसके स्थान पर दूसरी प्रबन्ध समिति को मनोनीत करने का अधिकार मुख्य प्रबन्ध न्यासी की सहमति से न्यास बोर्ड का होगा ।

(xiii)a–यदि किसी कारणबस इस ट्रस्ट के अन्तर्गत चलने वाली कोई भी संस्था समाप्त होती हैं। तो ऐसी स्थिति में संस्था की चल व अचल सम्पत्ति ट्रस्ट में स्वतः ही निहित हो जायेगी ।

(xiii)b– यदि कोई समान उद्देश्यों वाली समिति या संस्था या ट्रस्ट अपनी चल व अचल सम्पत्ति अपना स्कूल व कालेज, हॉस्टल आदि किन्ही कारणोवश इस ट्रस्ट को प्रदान करने का निर्णय लेते हैं या प्रस्तावित करते है तो उसको स्वीकार किया जा सकता है एवं अपने नियन्त्रण में लिया जा सकेगा । जिसकी सम्पूर्ण चल, अचल सम्पत्ति इस ट्रस्ट के स्वामित्व और कब्जा में हमेशा के लिए होगी।

(xiv)– न्यास बोर्ड 3/4 के बहुमत से पारित प्रस्ताव व व्यवस्था के अनुरूप ही न्यास को विघिटित या विलयन किया जा सकता है बशर्ते न्यास की समस्त देयताओं का भुगतान कर अवशेष आस्तियों किसी समान लक्ष्य व उद्देश्य वाली समिति या न्यास को अतंरित की जा सकेगी।

(xv)– न्यास बोर्ड के समस्त लेख अभिलेख वावत न्यास सम्पत्ति न्यास के पंजीकृत कार्यालय पर रखे जायेंगे।

(xvi)– आय–व्यय लेखा हेतु आय–व्यय वर्ष प्रत्येक एक अप्रैल से आगामी वर्ष में 31 मार्च माना जायेगा और तदानुसार आय–व्यय विवरण तुलन पत्र तैयार किये जाने का उत्तरदायित्व सचिव कोषाध्यक्ष को होगा तथा आय–व्यय विवरण का वार्षिक अकेंक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा करवाया जाना अनिवार्य होगा और समस्त विवरणीय न्यास बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त करना भी अनिवार्य होगा।

(xvii)–न्यास किसी प्रकार के लाभ प्राप्त करने वाले व्यवसायिक गतिविधियों को संचालन नहीं करेगा और न्यास बोर्ड के सदस्य न्यास में प्राप्त होने वाले आय को निजी लाभ में प्रयोग में नहीं ला सकेंगे।

(xviii)–न्यास के क्रियाकलाप व प्रबन्धन हेतु आवश्यकतानुसार अधिकारी, कर्मचारीगण, शिक्षक, संस्था प्रमुख आदि की योग्यता, क्षमता व तदनुरूप निर्धारित सेवा शर्तो पर नियुक्ति किये जाने का सर्वाधिकार मुख्य प्रबन्ध न्यासी की ही होगा और ऐसी नियुक्तियां नियुक्ति व्यक्तियों को सेवा से प्रथक किये जाने या दण्डित किये जाने का अधिकार प्रमुख प्रबन्ध न्यासी का ही होगा। नियुक्त कर्मचारियों की सेवा नियमवाली सृजित करने का अधिकार न्यास बोर्ड को होगा।

(xix)–न्यास बोर्ड की तीन से अधिक बैठकों में बिना समुचित कारण के अनुपस्थित रहने की दशा में न्यास बोर्ड आगामी बैठक में ऐसे सदस्य की अनुपस्थित कर सम्यक विचारण पर उसकी सदस्यता समाप्त किये जाने का निर्णय ले सकता है बशर्ते ऐसे निर्णय पर सम्बन्धित सदस्य के पक्ष में विचार किया जावे और ऐसे निर्णय को मुख्य प्रबन्ध न्यासी की स्वीकृति एवं सहमति प्राप्त होवे।

(xx)– न्यासी बोर्ड के प्रति तीन माह में एक बार एवं साल में कम से कम चार बार अपनी बैठकें आयोजित करना अनिवार्य होगा।

(xxi)– व्यय की पुर्नप्राप्ति का अधिकार ट्रस्ट सम्पत्ति के संरक्षण निष्पादन में होने वाले व्यय यदि कोई ट्रस्टी स्वंय कर दे तो 2/3 ट्रस्टियों की सहमति से अनुमोदित व्यय को पुनः प्राप्त कराने का अधिकार है।

(xxii)–ट्रस्ट की किसी अचल या चल संपत्ति को कुछ निश्चित अवधि के लिए किराए पर देना अथवा बेचने/हस्तांतरित करना, ऐसे नियमों और शर्तों पर जो ट्रस्टी समय–समय पर उचित समझे।

आवेदन सं०: 202200836000989

न्यास पत्र

बही स०: 4	**रजिस्ट्रेशन स०: 1**	**वर्ष: 2022**

प्रतिफल- 11000 स्टाम्प शुल्क- 1100 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 110 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 210

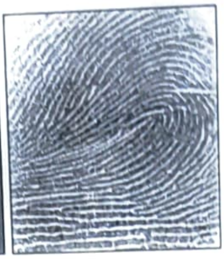

श्रीमती सन्तोष यादव ,
पत्नी श्री बृजेशचन्द्र यादव
व्यवसाय : गृहिणी
निवासी: जुगौरा कोकावली जनपद इटावा हा०नि० रेलमण्डी जसवन्तनगर इटावा (उ०प्र०)

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 29/03/2022 एवं 04:06:26 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मनोज कुमार विश्वकर्मा
उप निबंधक :जसवंतनगर
इटावा
29/03/2022

देवेन्द्र कुमार सक्सेना
निबंधक लिपिक

(xxiii) अन्य ट्रस्टों, सोसाईटी, निकायों, व्यक्तियों, फर्मों, संस्थाओं को ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट की संपत्ति और संपत्ति का मालिक देना, जैसा कि ट्रस्टी समय-समय पर तय कर सकते हैं। न्यासी उन्हीं मामलों या प्रतिभूतियों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होंगे।

(xxiv) ट्रस्ट की चल और अचल संपत्तियों को उधार में देना, पट्टे पर देना और हस्तांतरित करना।

(xxv) ट्रस्ट के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट पर विज्ञापन देना, वेबसाइट बनाना, सोशल मीडिया, पत्र-पत्रिकाएं, मीडिया प्रयोग करना और धन एकत्र करना अपनाना।

(xxvi) अन्य सभी मामले जो कि इस डीड में प्रदान नहीं किये गये है, लेकिन ट्रस्ट के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए, ट्रस्ट के प्रशासन के लिए आवश्यक है, न्यास बोर्ड इन मामलों पर संकल्प (Resolution) पारित करके उचित निर्णय ले सकेगा।

(xxvii) यदि कोई मामला उद्देश्य खंड में प्रदान नहीं किया गया है लेकिन ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्यों से संबंधित है, न्यासी बोर्ड द्वारा किए गए संकल्प (Resolution) द्वारा कुल सदस्यों के दो तिहाई के विशेष बहुमत से ट्रस्ट के उद्देश्यों में समाहित किया जा सकता है।

(xxviii) ट्रस्ट के नियमों व विनियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन, परिवर्तन तथा परिवर्धन ट्रस्टी मण्डल के 2/3 बहुमत से स्वीकार होगा।

10- अन्य विवरण

(i) न्यासी बोर्ड इनकम टैक्स की धारा 2 (15) 11 से 13, 80 जी 12(ए), 10(23) व 35 एसी के प्रावधानों से शासित होते हुये न्यास के लक्ष्य व उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सभी प्रकार के चल अचल सम्पत्तियों को अधिग्रहण भूमि भवन विद्यालय व संस्थाओं में ट्रस्ट संबंधित निवेश कर सकता है।

(ii) न्यास का कोष व सम्पत्ति इनकम टैक्स की धारा 13 से शासित होंगे।

(iii) न्यास निष्पादन के उपरान्त यह न्यास अपरिवर्तनीय (Irrevocable) रहेगा।

आवेदन सं०: 202200836000989

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 1 वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्रीमती सन्तोष यादव, पत्नी श्री बृजेशचन्द्र यादव

निवासी: जुगौरा कोकावली जनपद इटावा हा०नि० रेलमण्डी जसवन्तनगर इटावा (उ०प्र०)

व्यवसाय: गृहिणी

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री गौरव यादव, पुत्र श्री ऋषिपाल सिंह

निवासी: 278 रेलमण्डी जसवन्तनगर इटावा (उ०प्र०) 206245

व्यवसाय: व्यापार

पहचानकर्ता : 2

श्री विपिन कुमार, पुत्र श्री रामशंकर

निवासी: रेलवे क्रॉसिंग पो० सिसहाट जसवन्तनगर इटावा (उ०प्र०) 206245

व्यवसाय: व्यापार

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी **के हस्ताक्षर**

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

मनोज कुमार विश्वकर्मा
उप निबंधक : जसवंतनगर
इटावा

देवेन्द्र कुमार सक्सेना
निबंधक लिपिक

श्रीमती **सन्तोष यादव पत्नी डॉ0 बृजेश चन्द्र यादव** निवासी जुगौरा,कोकावली जसवन्तनगर, इटावा यह विलेख पूर्ण होसोहवास में निम्न साक्षियों के समक्ष स्वतंत्र इच्छा व सहमत से उपरोक्त । विवरित शर्तो को पूर्णतः समझकर आज दिनांक 29 माह 03 सन 2022 को उपनिबन्धक कार्यालय जसवन्तनगर से निष्पादित करती हूँ।

सन्तोष यादव

हस्ताक्षर
मुख्य प्रबन्ध न्यासी संस्थापक / प्रबन्धक / चेयरमेन व लेखक

उपरोक्त संस्थापक / प्रबन्धक / चेयरमेन श्रीमती सन्तोष यादव द्वारा हमारे समक्ष हस्ताक्षरित कर हमारी उपस्थिति में हस्तगत किया ।

गवाह–

1. गौरव यादव पुत्र श्री ऋषिपाल सिंह
   278, रेलमण्डी, जसवन्तनगर, इटावा
   (उ0प्र0) 206245
   मोबइल नम्बर :– 9045121221

फोटो प्रमाणित
रनवीर सिंह यादव

2. विपिन कुमार पुत्र श्री राम शंकर
   रेलवे क्रॉसिंग पो0 सिसहाट, जसवन्तनगर,
   इटावा (उ0प्र0) 206245
   मोबइल नम्बर :–8532002000

फोटो प्रमाणित
रनवीर सिंह यादव

दस्तावेज लेखक का नाम- रनवीर सिंह
अनुज्ञप्ति सं0 व अवधि- 75/- 2022
तहसील जसवन्तनगर जिला- इटावा
ली गई फीस------- 50/-
हस्ताक्षर -

आवेदन सं०: 202200836000989

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 4 के पृष्ठ 393 से 432 तक क्रमांक 1 पर
दिनाँक 29/03/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मनोज कुमार विश्वकर्मा
उप निबंधक : जसवंतनगर
इटावा
29/03/2022